CIN:U40109RJ2000SGC016486
जेपीआर 5—741
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता(वा0)
कमरा नं0 229, विद्युत भवन, ज्योतिनगर, जयपुर—302008
फोन नं0 — 0141—2747041, फैक्स नं0 — 0141—2744803
ईमेल — c_comml@yahoo.com

क0 जेपीडी / अधी.अ.(वा.) / सी—I / एफ.4(210)पार्ट—19 / प्रे0 1726 जयपुर, दिनांक— 24.12.2014

आदेश

विषय — पृथ्वीराजनगर योजना क्षेत्र में नये विद्युत कनेक्शन जारी किये जाने के संबंध में।

श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर के पत्र क्रमांक प6(15)नविवि / 3 / 08 पार्ट जयपुर दिनांक 05.05.2013 की अनुपालना में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश सं0 714 दिनांक 10.05.2012 (जेपीआर5—648) द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण की जयपुर—अजमेर रोड़ के उत्तरी व दक्षिणी भाग में आवासन मण्डल की मानसरोवर योजना के आगे वृहद् आवासीय पृथ्वीराज नगर योजना में नवीन विद्युत संबंध जारी करने पर अग्रिम आदेश तक प्रतिबन्ध लागू किया गया था।

श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव—तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक प6(15)नविवि / 3 / 87 पार्ट जयपुर दिनांक 22.12.2014 द्वारा सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.07.2013 की अनुपालना में पूर्व विभागीय आदेश प6(15) / नविवि / 3 / 87 पार्ट जयपुर दिनांक 05.05.2012 को अधिक्रमित करते हुए निर्णय लिया है कि जिन भूखण्डों में पृथ्वीराज नगर में पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी हो जाते हैं, उनको नियमानुसार विद्युत कनेक्शन दिया जा सकता है।

इस संबंध में निर्देशानुसार पृथ्वीराजनगर योजना क्षेत्र में जिन भूखण्डों में पट्टा विलेख (लीज डीड) जारी हो जाते हैं, उन आवेदकों के विद्युत कनेक्शन नियमानुसार दिये जा सकते हैं।

सभी सम्बन्धित अधिकारी इसकी पालना तुरन्त प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

(ए.के.सिंह)
अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य)

D/joshi/JPR-